न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 6 / 2022 **दायर दिनांकः 07 / 06 / 2022**

उनवान

1. कमल आयु 37 वर्ष पुत्र कंवरलाल जाति बैरवा निवासी सागोडा तहसील छबडा जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय, तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनाकः 09 / 02 / 2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल निमोदा पटवार क्षेत्र दडा तहसील अटरू जिला बारां राज0 में खाता संख्या 24 का ख0नं0 54 का रकबा 0.74 है0 आराजी प्रार्थी के दर्ज खाता चली आ रही है। प्रार्थना पत्र के साथ नकल नवीन जमाबंदी, नक्शा ट्रेस पेश है। जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 में वर्णित प्रार्थी के खेत पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने का स्थाई रास्ता सरकारी भूमि ख0नं0 76 का रकबा 0.41 है0 बंजड की मेड पर होकर है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए स बी अंकों से प्रदर्शित किया गया हैं उक्त रास्ते से प्रार्थी सदैव से अपने खेत पर आता जाता एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने का संकट उत्पन्न हो जायेगा। नकल जमांदी खाता संख्या 1 ख0नं0 76 अप्रार्थी व नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है। अगर अप्रार्थी अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गया तो प्रार्थी अपने स्वामित्व की आराजी पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने से वंचित हो जावेगा जिससे प्रार्थी समय पर अपने खेत को नहीं हंकवा सकेगा तथा प्रार्थी की आराजी पड़त रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा

जिसके फलस्वरूप प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थी को अपने स्वामित्व की प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी खाता संख्या 1 का ख.नं. 76 में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में A to B अंकों से प्रदर्शित स्थायी रास्ता 10 मीटर चौड़ाई में दिलाया जावे तथा प्रार्थी को उसके खेत पर पूर्व की भांति आने जाने का रास्ता A to B अंकों से प्रदर्शित का उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नही डाले। प्रार्थी रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। विवादग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम एवं माल निमोदा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को ग्राम निमोदा में प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 54 का रकबा 0.74 हे0 पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने का स्थाई रास्ता 10 मीटर चौड़ा अप्रार्थी के ख.नं. 76 की मेड़ पर होकर दिलाया जावे। प्रार्थी रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार हैं। रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में A to B अंकों से प्रदर्शित किया गया है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त रास्ता दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार साहब अटरू को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। अप्रार्थी से मौका रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी/तहसीलदार अटरू द्वारा क्रमांक/राजस्व/2022/2256 दिनांक 12.09.2022 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम निमोदा की आराजी ख0नं0 54 रकबा 0.74 किस्म माल–2 कमल पुत्र कंवरलाल जाति बैरवा सा. सागोडा तहसील छबडा के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी की भूमि ख0नं0 76 रकबा 0.41 है0 किस्म बंजड सिवायचक दर्ज रिकार्ड है जो एन0एच0–90 से लगा हुआ है। उक्त भूमि मौके पर खाली है। एवं क्रमांक/राजस्व/2022/2852

दिनांक 22.11.2022 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम निमोदा की आराजी ख0नं0 76 रकबा 0.41 किस्म बंजड रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी द्वारा समीपवर्ती ख0नं0 54 रकबा 0.74 है0 किस्म माल 2 में पहुचने हेतु रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी के ख0नं0 54 तक पहुंच मार्ग हेतु ख0नं0 76 में से रास्ता दिया जाता है तो उसकी लम्बाई 24 मीटर होगी।

3. अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को ग्राम निमोदा में प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 54 का रकबा 0.74 है0 आराजी तक आने जाने हेतु अप्रार्थी के ख0नं0 76 का रकबा 0.41 है0 किस्म बंजड सरकारी भूमि से 10 मीटर चौडाई एवं 24 मीटर लंबबाई में रास्ता दिलवाया जावे। प्रार्थी वर्षों से इसी भूमि मे से होकर अपने खेतों तक आता जाता है। प्रार्थी के खेत ख0नं0 54 तक पहुंच का यही सबसे लघुतम रास्ता है जिसकी लंबाई करीब 20 मीटर है। प्रार्थी रास्ते की भूमि की मुआवजा राशि डी0एल0सी0 की दूगनी या न्यायालय के आदेश अनुसार अप्रार्थी को जमा कराने को तैयार है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः कथन किया गया कि यह रास्ता प्रार्थी की अतिआवश्यकता है और पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यदि प्रार्थी को उसकी आराजी तक पहुंच के लिए रिकार्डेड रास्ता नहीं दिया गया तो उसकी भूमि पडत रह जायेगी जिससे उसके परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जायेगा।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः तर्क किया कि किसी काश्तकार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि (सिवायचक/चारागाह) में होकर नया रास्ता चाहिए या किसी विद्यमान रास्ते को चौडा करना चाहता है तो राज्य सरकार के परिपत्र – राजस्व (ग्रुप–9) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.2(63)राज.–9/2014 दिनांक 29.09.2014 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प03(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.13 के आधार पर रास्ता दिये जाने के प्रावधान है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 व उक्त परिपत्रों प्रावधानों के अधीन प्रार्थी को अपनी आराजी तक पहुंच हेतु 10 मीटर चौडा एवं 24 मीटर लंबा रास्ता संलग्न नजरी नक्शे व मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जावे।

4. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार की बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 में राजकीय भूमि से होकर रास्ता दिये

जाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन पेरोकार सरकार ने राजस्व विभाग के ग्रुप–6 के राजकीय भूमि में होकर रास्ता दिये जाने के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 14.06.2013 पर कोई आपत्ति पेश नहीं की।

5. अभिभाषक प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। उपरोक्त बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं पेश परिपत्रों का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी हैः–

(i) **रास्ते की अत्यावश्यकता होना–** प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम निमोदा के ख0नं0 54 की जमाबंदी संवत 2072–75, ग्राम निमोदा का खसरा नक्शा, तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.09.2022 व 22.11.2022 आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी ख0नं0 54 रकबा 0.74 है0 तक पहुंच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आराजी के तीन तरफ– उत्तर, पश्चिम व दक्षिण में निजी खातेदारी की भूमियां ख0नं0 53, 57, 58, 681/76 तथा पूर्व दिशा में सरकारी भूमि ख0नं0 76 स्थित है। प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु बंजड भूमि ख0नं0 76 से होकर अस्थाई/व्यवस्थार्थ रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी के खेत तक रिकॉर्डेड रास्ता नहीं होने से प्रार्थी को अप्रार्थी को सरकार भूमि से व्यवस्थार्थ आना जाना व कृषि उपकरण ले जाना पडता है। अतः साबित होता है कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की अत्यावश्यकता है।

(ii) **वैकल्पिक रास्ता नहीं होना**– अभिभाषक प्रार्थी की बहस और तहसीलदार अटरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 12.09.2022 व 22.11.2022 के अनुसार प्रार्थी के खाते की ग्राम निमोदा के आराजी ख0नं0 54 तक पहुंच हेतु कोई भी रिकोर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी कई वर्षों से अपने खेत तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते को व्यवस्थार्थ वास्तविक रूप में उपयोग एवं उपभोग करता आया है।

(iii) **सबसे लघुतम रास्ता होनाः**– प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा एवं तहसीलदार अटरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 22.11.2022 के अनुसार प्रार्थी के खेत ग्राम निमोदा के ख0नं0 54 तक पहुंच का सबसे लघुतम रास्ता ख0नं0 76 की

उत्तरी मेड से होकर जाता है जिसकी लम्बाई करीब 24 मीटर बताई गई है। लेकिन तहसीलदार अटरू की नवीन मौका रिपोर्ट दिनांक 08.02.2023 के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 14 मीटर अंकित की गई है। प्रार्थी द्वारा पेश खसरा नक्शा व तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.11.2022 व 08.02.2023 के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित है कि नया प्रस्तावित रास्ता लघूत्तम रास्ता है।

(iv) **डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः—**प्रार्थी, अप्रार्थी/पेरोकार सरकार के ख0नं0 76 किस्म बंजड से होकर दिये जाने वाले रास्ते हेतु उपयोग आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दरों से दुगनी राशि या न्यायालय के आदेश अनुसार भुगतान करने के लिए सहमत है।

6. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अधीन नया रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन उक्त प्रावधान के केवल खातेदारी भूमि से ही नये रास्ते दिये जाने के संबंध में है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंच हेतु राजकीय भूमि ख0नं0 76 में होकर अस्थाई रास्ता गुजरता है और प्रार्थी खातेदार द्वारा इसी सिवायचक भूमि में होकर अपनी जोत तक पहुंच हेतु नया रास्ता चाह गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा पेश राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के ग्रुप 6 के परिपत्र क्रमांक प.3(52)राज—6/12/4 दिनांक 14.06.2013 का अवलोकन किया गया। उक्त परिपत्र में राजकीय भूमि से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध में निम्न प्रावधान किये गये है— ***"राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध में —संबंधित खातेदारों की आपसी सहमति से उनके खेतों तक पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नया रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है। यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई राजकीय भूमि पड़ती है तो उसका भी समाधान किया जा चुका है एवं यदि खातेदार आपस में सहमत नहीं है तो वह खातेदार जिसको जोत तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना है या पुराने रास्ते को चौड़ा करना है तो उसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क में दिया गया है। लेकिन उक्त प्रावधान केवल खातेदारी भूमि पर से रास्ते के संबंध में ही है लेकिन ऐसे प्रकरण जिसमें खातेदार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नही है। खातेदार राजकीय भूमि में से ही होकर***

अपनी जोत तक पहुंच सकता है। खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आने जाने के लिये रास्ता चाहा जा रहा है।

उक्त समस्या के समाधान के लिये यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुँचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–निगम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारीश की गई कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत किया जावें। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौडा नही होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा''।

प्रार्थी द्वारा पेश राजस्व विभाग ग्रुप 9 का परिपत्र दिनांक 29.09.2014 का भी अवलोकन किया गया। उक्त परिपत्र में खातेदार को अपनी जोत तक पहुंच हेतु राजकीय (चारागाह) भूमि में होकर नया रास्ता चाहे जाने के संबंध प्रावधान किये गये है जिसमें खातेदार को राजकीय चारागाह भूमि से रास्ते के रूप में दी गई भूमि के बदले में स्वयं के खातेदारी की उतना ही रकबा चारागाह के रूप में सम्पर्ण किये जाने के प्रावधान है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण एवं राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 प्रार्थी के आधार पर प्रार्थी द्वारा डीएलसी. की दुगुनी राशि जमा कराने की सहमति, प्रार्थी के खेत तक कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं होने एवं रास्ते की अत्यावश्यकता होने के कारण प्रार्थी के ख0नं0 54 तक पहुंत हेतु सरकारी ख0नं0 76 की उत्तरी मेढ के सहारे पेश नवीन मौका रिपोर्ट व नक्शा खसरा के अनुसार 30 फीट यानी 9.14 मीटर चौडा एवं 15 मीटर लंबाई में नया रास्ता दिया जाना न्यायोचित होगा। अतः ग्राम निमोदा की विवादित आराजी ख0नं0 76 के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ग्राम निमोदा तहसील अटरू के ख0नं0 54 का रकबा 0.74 है0 तक पहुंच हेतु तहसीलदार अटरू की नवीन मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम निमोदा के ख0नं0 76 किस्म बंजड में से उत्तरी मेड के सहारे 15 मीटर लम्बा व 9.14 मीटर चौडा रास्ता यानी 138 वर्ग मीटर भूमि पर रास्ता कायम कर 0.02 है0 आराजी की **DLC** की दुगनी राशि अप्रार्थी को दिये जाने/राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां